वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट

शिक्षा विभाग हरियाणा

वर्ष 1970—71

प्रकाशक :

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय विवर्णिका

अध्याय :	विषय	पृष्ठ
1	सामान्य सार	1-6
2	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	7-11
3	स्कूल शिक्षा	12-21
4	महाविद्यालय शिक्षा	22-26
5	शिक्षक प्रशिक्षण	27-32
6	समाज शिक्षा	33-35
7	महिला शिक्षा	36-40
8	शिक्षण विकास कार्यक्रम	41-48
9	विविध	49-55
10	परिशिष्ट	56-60

अध्याय 1

सामान्य सार

1.1 प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग की वर्ष 1970-71 की गतिविधियों से सम्बन्धित है और हरियाणा बनने के बाद यह पांचवीं रिपोर्ट है।

1.2 भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की 31-3-71 के अनुसार संख्या निम्नलिखित है :–

संस्था	31-3-71 को संस्थाओं की संख्या	31-3-71 को छात्रों की संख्या
प्राथमिक शालाएं	4,444	5,3,0069
मिडल शालाएं	777	2,34,854
उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाएं	970	5,88,545
महाविद्यालय	77	59,477
विश्वविद्यालय (कुरुक्षेत्र)	1	4,096

प्राथमिक कक्षाओं में 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या का लक्ष्य अभी तक राष्ट्रीय औसत लक्ष्य तक नही हो सका। इसका बड़ा कारण यह है कि बच्चों के माता-पिता रूढ़िवादी विचारों के हैं और वह अपने बच्चों को विशेषकर लड़कियों को पर्याप्त संख्या में स्कूलों में नहीं भेजते।

सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों के लोग भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने में कोई लाभ इत्यादि नहीं

समझते। इस स्थिति को सुधारने के लिए निम्न वर्ग के पहली श्रेणी के बच्चों को जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1,000 रुपये से अधिक नहीं है। रिपोर्टाधीन अवधि में सरकार ने एक लाख रुपये की राशि की पुस्तकें मुफ्त बांटने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

प्राथमिक स्कूलों का खोलना :--

1.3 पिछले कुछ वर्षों से छात्र संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोले और प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की वृद्धि तथा नए खुलने वाले स्कूलों के लिए अतिरिक्त 1000 जे०बी०टी० अध्यापकों के पद स्वीकृत किये गये।

अपग्रेडिंग के लिए अतिरिक्त अमला :--

1.4 रिपोर्टाधीन अवधि में 100 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ाकर मिडल किया गया और 100 ही मिडल स्कूलों का स्तर बढाकर उच्च किया गया। इस साल उपरोक्त स्कूलों में दिये जाने वाले नए पदों का व्यौरा निम्नलिखित है :--

(1)	मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिकायें	100
(2)	ग्रेजूएट अध्यापक/अध्यापिकायें	540
(3)	नान-ग्रेजूएट अध्यापक/अध्यापिकाएं	250
(4)	पी० टी० आई०	100
(5)	लिपिक	100
(6)	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	300

महाविद्यालय शिक्षा :---

1.5 कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय के विकास के लिए वर्ष 1970-71 में 70.95 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। पंजाब विश्व विद्यालय चण्डीगढ़ को 15 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। अराजकीय महाविद्यालयों के विकास कार्यो के लिए 12 लाख रुपए और अध्यापक वर्ग के वेतनमान को राजकीय कालिज अध्यापकों के वेतन स्तर पर लाने के लिए 18.20 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया।

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए भलाई के कार्य :---

1.6 अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति में प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1970-71 में छात्रवृत्तियों के लिए निम्नलिखित राशि की व्यवस्था की गई :--

	योजनेतर	योजना
राज्य सरकार	13,50,000 रु०	19,00,000 रु०
भारत सरकार	7,90,000 रु०	4,55,457 रु०
विमुक्त जाति के छात्रों के लिए	3,300 रु०	30,000 रु०

इसके अतिरिक्त इन विद्यार्थियों को स्कूलों और महाविद्यालयों में निशुल्क शिक्षा दी जाती है।

भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना : --

1.7 उच्च शिक्षा प्राप्ति में प्रोत्साहन देने के लिए महाविद्यालयों में यह योजना चालू है। वर्ष 1970-71 में 587 छात्रों को नवीन तथा पुरानी छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 4,39,500 रुपये की व्यवस्था की गई।

प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चों के लिए योजना छात्रवृत्ति :---

1.8 इस योजना के अधीन वर्ष 1970-71 में 35 अध्यापकों के बच्चों ने लाभ उठाया और इस योजना के लिए 33,000 रुपए की व्यवस्था की।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त जिन बच्चों के माता-पिता/सरक्षक की वार्षिक आय 6,000 रुपये से अधिक नहीं है उनके लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। इस वर्ष सैनिक स्कूल तथा पब्लिक स्कूल, नाभा, में पढ़ने वाले 660 हरियाणा के छात्रों को 13,22,900 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई।

प्रशासकीय तथा शिक्षक अमले की भर्ती :---

1.9 इस राज्य में सात ज़िले हैं और हर ज़िले का पूर्ण नियंत्रण जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन है। ज़िला शिक्षा अधिकारी श्रेणी (1) के अधिकारी हैं। यह अधिकारी निदेशालय की शिक्षा नीति को ज़िलों में प्रचलित करते है। यह जिलों में पूर्ण शालेय शिक्षा के पूर्ण विकास के लिए जिम्मेवार हैं।

ग्रेजूएट अध्यापकों/मुख्याध्यापकों/प्राध्यापकों आदि का नियन्त्रण निदेशालय के पास है।

बेसिक शिक्षा :---

1.10 हरियाणा के लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा बुनियादी शिक्षा प्रणाली के आधार पर ही दी जाती है। प्राथमिक श्रेणीयों के नये पाठ्क्रम में बेसिक शिक्षा के मुख्य कार्यों जैसे आमोद-प्रमोद, खेलों, शिल्प इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। ताकि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्क्रम लाभदायक भी हो और रोचक भी।

शिक्षा पर हुआ व्यय (वर्ष 1970-71)

1.11 शिक्षा विभाग के वर्ष 1970-71 का कुल बजट व खर्चा :-

(आंकड़े लाखों में)

	योजना	योजनेतर	कुल खर्चा
	रुपये	रुपये	रुपये
कुल बजट	270.38	1498.55	1768.93
कुल खर्चा	264.30	1498.82	1763.12
(क) प्रत्यक्ष व्यय :--			
विश्व विद्यालयों पर खर्चा	64.28	46.68	110.96
महाविद्यालयों पर खर्चा	21.61	55.98	77.59
माध्यमिक शिक्षा	111.01	883.38	994.39
प्राथमिक शिक्षा	34.02	399.51	433.53
स्पैशल स्कूलों पर खर्चा	1.44	6.38	7.82
कुल खर्चा	232.36	1391.93	1624.29

(ख) परोक्ष व्यय :-

	योजना	योजनेतर	कुल खर्च
छात्रवृत्ति ग्रौर वजीफे इत्यादि	29.15	41.40	70.55
डारैकशन	2.15	14.24	16.39
इन्सपैकशन	-	33.83	33.83
विविध :-	0.64	17.42	18.06
जोड़	31.94	106.89	138.83
कुल जोड़	264.30	1498.82	1763.12

अध्याय 2

शिक्षा विभाग का प्रशासन एंव संगठन

2.1 श्री माड़ू सिंह मलिक वर्ष 1970-71 में शिक्षा मंत्री के पद पर आरूढ़ रहे।

(क) सचिवालय :---

सचिवालय स्तर पर श्री बी० एल० आहूजा, आई० ए० एस० शिक्षा आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के संचालक रहे। उनको सहायता के लिए श्री जगदीश चन्द्र भोला आई० ए० एस० तथा श्री सरनागत सिंह, एच० सी० एस० ने उप सचिव और अवर सचिव का क्रमशः कार्यभार सम्भाला।

(ख) निदेशालय स्तर :---

वर्ष 1970-71 की अवधि में श्री वी० के० सिबल, आई० ए० एस० ने निदेशक, शिक्षा विभाग, के पद का कार्यभार सम्भाले रखा। पिछले वर्षो से शिक्षा विभाग में आश्चर्यजनक विकास होने के कारण तथा निदेशालय में काम की अधिकता के कारण निदेशक महोदय की सहायता के लिए निम्नलिखित पदों पर अधिकारियों ने कार्य किया :--

(1) उप-निदेशक (एच० ई० एस० I)महाविद्यालय–1

(2) उप-निदेशक(एच०ई०एस०) योजना (1-4-70 से 8-11-70)–1

(3) उप निदेशक (एच०ई०एस०) विद्यालय-1

(4) प्रशासन अधिकारी (एच०सी०एस०)-1

(5) सहायक निदेशक (एच० ई० एस० II)-5

नवम्बर, 1970 में उप निदेशक (योजना) के पद के स्तर को बढ़ाकर संयुक्त निदेशक के पद में बदल दिया गया और श्री वी०-एस० माथुर, एच०ई०एस० (श्रेणी-1) ने 9 नवम्बर, 1970 को संयुक्त निदेशक के पद का कार्य भार संभाला। 1969-70 के मध्य में सहायक निदेशकों के पद अस्थाई तौर पर खाली कर दिये। परन्तु बाद में काम को अधिक सुचारु रुप से चलाने के लिए मई, 1970 से इन पदों पर दोबारा नियुक्तियां करनी आरम्भ कर दी गई।

ज़िला प्रशासन:--

2.2 राज्य में केवल 7 ज़िले हैं और प्रत्येक जिले में शिक्षा के प्रशासन/नियन्त्रण और शिक्षा संस्थाओं के निरोक्षण का उत्तरदायित्व ज़िला शिक्षा अधिकारियों पर है। इस प्रकार ज़िला शिक्षा अधिकारी ज़िला में शिक्षा सबन्धी सभी प्रकार की गतिविधियों और उन्नति का उत्तरदायित्व निभाते हैं और इन्ही के द्वारा सरकार की शिक्षा संबन्धी नीति को क्षत्रों में कार्य रूप दिया जाता है। यह अधिकारी अपने ज़िले में सभी प्रकार के नान-ग्रेजूएट अधिकारियों की नियुक्ति के सक्षम अधिकारी हैं और इन अधिकारियों की वरिष्ठता जिला स्तर पर ही बनाई जाती है। उनके काम मे सहायता देने के लिए और ज़िला के शिक्षा विकास तथा शिक्षा संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उप ज़िला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्तियां भी की जाती है। ज़िलावार उप-ज़िला शिक्षा अधिकारियों के पदों की संख्या

निम्नप्रकार है :—

(1) अम्बाला–3

(2) रोहतक–5

(3) करनाल–4

(4) महेन्द्रगढ़–2

(5) जीन्द–1

(6) गुड़गांवां–4

(7) हिसार–5

31-3-71 की स्थिति अनुसार निदेशालय तथा ज़िला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का ब्यौरा परिशिष्ट एक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए प्रत्येक ज़िला में एक-एक सहायक जिला शिक्षा अधिकारी (स्वास्थ्य) स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है जिसका कार्य विद्यालयों में दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा तथा खेलों इत्यादि का निरीक्षण करना है। इस समय राज्य में शिक्षा विकास खण्डों की संख्या 107 है। और खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड के प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण तथा प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी हैं। शिक्षा का निरीक्षण उनकी गतिविधियों पर हर प्रकार की उन्नति के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायी हैं। जिन जिलों का कार्यभार पुरुष जिला शिक्षा अधिकारियों के पास रिपोर्टाधीन काल में रहा वहां महिला

अध्यापिकाओं के लिए एक महिला उप-जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई।

विद्यालय प्रशासन :–

2.3 प्रशासन के विचार से राज्य में केवल 2 प्रकार के विद्यालय हैं :--

(1) राजकीय विद्यालय

(2) अराजकीय विद्यालय

राज्य के सभी राजकीय विद्यालय शिक्षा और प्रशासन के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में हैं। शिक्षा विभाग इन विद्यालयों के समस्त विकास उन्नति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के शिक्षा की विकास योजनाओं और संस्थाओं के नियन्त्रण के लिए निदेशक शिक्षा विभाग को उत्तरदायी है। इनकी सहायता के लिए हर जिले में उप-जिला शिक्षा अधिकारी तथा खण्डों में प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं। अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन प्रबन्ध उनकी अपनी स्थानीय कमेटियां चलाती हैं। जहां तक शिक्षा के माध्यम इत्यादि का सम्बन्ध है इन सभी विद्यालयों को शिक्षा विभाग की निश्चित शिक्षा सम्बन्धी नीति अपनानी पड़ती है। क्योंकि शिक्षा विभाग इन स्कूलों को मान्यता प्रदान करता है और हर वर्ष सरकार द्वारा सहायता अनुदान भी दिया जाता है। इन स्कूलों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विश्व विद्यालय/महाविद्यालय :--

राजकीय महाविद्यालय का प्रशासन तथा निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाता है परन्तु अराजकीय महाविद्यालयों

का जो अपने-अपने संस्थाओं के अधीन खोले गए हैं उनको अपनी स्थानीय संस्थाएं ही चलाती हैं। इन सभी अराजकीय महाविद्यालयों को राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा नींति को अपनाना पड़ता है जिससे वह सबद्धित होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अतिरिक्त राज्य सरकार भी इनको सहायता के रूप में हर वर्ष अनुदान देती है।

राज्य में केवल इस समय एक ही विश्वविद्यालय है जो कुरूक्षेत्र में स्थित है तथा इस विश्व विद्यालय के साथ वहां के स्थानीय कालिज ही संबद्धित हैं। राज्य के अन्य सभी महाविद्यालय पंजाब विश्व-विद्यालय, चण्डीगढ़ से सबद्ध हैं।

अध्याय 3

स्कूल शिक्षा

3.1 किसी देश की समृद्धि, खुशहाली तथा उन्नति देश में दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होती है इसलिए कोई भी देश मानव सम्पत्ति में धन को नियोजन किये बिना उन्नति नही कर सकता। देश में समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति लाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत संसार का सबसे बड़ा गणराज्य है जिसमें हर प्रौढ़ नर-नारी को वोट देने का अधिकार है। शिक्षित मानव ही लोकतन्त्र राज्य की नींव है और यह नींव तभी सुदृढ़ और शक्तिशाली हो सकती है यदि इनको अच्छी प्रकार की शिक्षा दी जाए। हरियाणा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे कई राज्यों से पिछड़ा हुआ है परन्तु पिछले 5 वर्षों से इस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की है। राज्य सरकार भी राज्य के मानव सम्पति विकास के लिए पूरा-पूरा ध्यान दे रही है और शिक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक धन को खर्च करके शिक्षा सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुँचा रही है।

प्राथमिक शिक्षा ही उच्च शिक्षा प्रणाली की आधार शिला है इसलिए इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। देश के संविधान में भी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क सामान्य शिक्षा देने की व्यवस्था है परन्तु हरियाणा राज्य में अभी तक धन साधन

इतने नहीं हैं कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके इसलिए इस राज्य में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की सुविधा केवल 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही सीमित है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा :---

3.2 हरियाणा राज्य के स्थापित होने से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा केवल नाम मात्र की थी परन्तु राज्य में पिछले कुछ वर्षों से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साधनों के विकास में काफी उन्नति की है। वर्ष 1970 के अन्त तक राज्य में केवल 4 ऐसे विद्यालय थे। चौथी पंचवर्षीय योजना में हर जिले में एक-एक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है तथा वर्ष 1970-71 में एक स्कूल नरवाना (जींद) में खोला गया है।

प्राथमिक शिक्षा :---

3.3 (क) छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से अधिक दूर जाने की अपेक्षा निकट के स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने प्रति वर्ष 50 नये प्राथमिक स्कूल ऐसे गांवों मे खोलने की व्यवस्था की है, जिनमें पहले प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं नही थी। 1970-71 में भी 50 नये स्कूल खोले गये हैं जिनका जिलावार ब्यौरा निम्नलिखित है :---

1.	अम्बाला	-	7
2.	हिसार	-	5
3.	रोहतक	-	10
4.	करनाल	-	10

5. गुड़गावां - 10
6. महेन्द्रगढ़ - 4
7. जीन्द - 4

31.3.71 को राज्य में कुल 4357 राजकीय और 87 अराजकीय प्राथमिक स्कूल थे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा की सुविधा कुछ एक माध्यमिक उच्च/उच्चतर विद्यालयों को छोड़ कर बाकि सभी शालाओं में भी पर्याप्त है। हर ज़िला शिक्षा अधिकारी को यह अधिकार भी दे रखा है कि यदि वह समझते हैं कि किसी गांव में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु काफी दूर जाना पड़ता है तथा संख्या भी पर्याप्त है तो उनके लिए वह उसी गांव मे ही शाखा प्राथमिक स्कूल खोल सकते हैं।

छात्र संख्या :-

3.4 जहाँ विद्यालयों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है वहाँ साथ-साथ प्राथमिक स्कूलों तथा माध्यमिक स्कूलों की प्राथमिक विभागों में भी विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बच्चों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी अभी तक हरियाणा राज्य के 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या का प्रतिशत अनुपात भारत के औसत प्रतिशत अनुपात से काफी कम है। हरियाणा राज्य में केवल 62% बच्चे 6-11 वर्ष की आयु के स्कूलों में जाते हैं तथा इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं। बच्चों के माता - पिता रुढ़ि वादी में विश्वास रखने के कारण विशेषकर लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं। वर्ष 1970-71 में छात्र संख्या में लगभग 2.93% वृद्धि हुई है। 6 से 11 वर्ष की आयु के प्राथमिक

कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है :-

वर्ष	लड़के	लड़कियाँ	कुल
1970-71	6,33,048	2,5,4,248	8,87,29

अध्यापक :--

3.5 विद्यालयों की वृद्धि के साथ-साथ अधिक अध्यापकों आवश्यक्ता भी रहती है जिसके लिए रिर्पोटाधीन अवधि में बढ़ती हुई छात्र संख्या के लिए योजनास्तर पर 1,000 नये जे. बी. टी. अध्यापकों के पद सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। परन्तु इनमें से केवल 31.3.71 तक निम्नलिखित 868 अध्यापकों के पदों की आवश्यकता अनुसार ज़िलों में वितरण किया गया है।

अम्बाला	-	208
करनाल	-	207
रोहतक	-	68
हिसार	-	155
गुड़गावां	-	160
जींन्द	-	35
महेन्द्रगढ़	-	35
कुल	-	868

निरीक्षण:--

3.6 ज़िला शिक्षा अधिकारी अपने-अपने ज़िले के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी हैं परन्तु सुविधा के लिए प्राथमिक स्कूलों

के निरीक्षण तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य के 107 खण्ड शिक्षा अधिकारियों पर है और एक खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन ऐसे 40 से 50 स्कूल हैं। ज़िला शिक्षा अधिकारी तथा उप-ज़िलाशिक्षा अधिकारी भी इन विद्यालयों का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करते हैं।

माध्यमिक शिक्षा :---

3.7 प्राथमिक शिक्षा के विकास के साथ-साथ शिक्षा विभाग का ध्यान शिक्षा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के विकास पर भी रहा तथा पिछले 5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उन्नति हुई है। वर्ष 1970-71 में राज्य के 100 प्राथमिक स्कूलों का स्तर बढ़ा कर मिडल तथा 100 मिडल स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। स्कूलों का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता प्राथमिक स्कूलों में लगातार बढ़ती हुई छात्र संख्या तथा राज्य के लोगों में माध्यमिक शिक्षा के प्राप्त करने की तीव्र भावना है। सरकार ने इसके दौरान जाट हाई स्कूल भापड़ोदा, (रोहतक) का राष्ट्रीयकरण भी किया। इस समय राज्य में माध्यमिक शिक्षा दो प्रकार की है एक उच्चतर तथा दूसरी उच्चतर माध्यमिक है। शुरू-शुरू में संयुक्त पंजाब में जब उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया था तो कुछ ऐसे स्कूलों को भी उच्चतर माध्यमिक कर दिया था जो कि इस शिक्षा के योग्य नहीं थे। ऐसी पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या नाम मात्र को थी इससे सरकार ने ऐसे स्कूलों का स्तर उच्चतर माध्यमिक से उच्च रखने का निर्णय किया है इस निर्णय के अनुसार उच्चतर माध्यमिक बल्ला, (करनाल) और अंगूपुर (गुड़गांवा) के स्तर को घटाकर उच्च कर दिया गया। जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया

है उनकी ज़िलावार संख्या निम्नलिखित है :-

जिला का नाम	प्राथमिक से मिडल	मिडल से उच्च
अम्बाला	9	7
गुड़गावां	12	25
हिसार	31	18
जीन्द	6	4
करनाल	17	21
महेन्द्रगढ़	5	9
रोहतक	20	16
कुल	100	100

इस प्रकार राज्य में 31-3-71 को माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्नलिखित थी :---

स्तर	राजकीय	अराजकीय	कुल
मिडल स्कूल	744	33	777
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	795	175	970

छात्र संख्या:-

3.8 आज का मानव अपने बच्चों को न केवल प्राथमिक शिक्षा दिलवाने पर ही सन्तुष्ट है बल्कि उसकी जिज्ञासा अपने बच्चों

को माध्यमिक शिक्षा देने की भी है । प्राथमिक कक्षाओं में बढ़ती हुई छात्र संख्या का प्रभाव माध्यमिक कक्षाओं पर भी पड़ रहा है। माध्यमिक स्तर में पिछले वर्ष से संख्या में लगभग 3.44% वृद्धि हुई है। वर्ष 1970-71 की छात्र संख्या निम्नलिखित थी :--

	स्तर	लड़के	लड़कियां	कुल
(1)	मिडल स्कूल स्तर	2,64,026	72,871	3,36,897
(2)	उच्च/उच्चतर स्तर	1,08,241	31,392	1,39,633

शिक्षा विभाग का ध्यान केवल शिक्षा की सुविधाओं को विकसित करने का ही नहीं अपितु विद्यालयों में नए विषय आरम्भ करने पर भी रहा है। इसके लिए हरियाणा राज्य में 15 स्कूलों में संगीत तथा 11 उच्च स्कूलों में कृषि के विषय पढ़ाने का प्रशंसनीय प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त 68 स्कूलों में आर्ट तथा क्राफ्ट के विषय भी पढ़ाए जाते हैं।

विद्यालयों में दोहरीपारी प्रणाली :--

3.9 स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का विकास उस रफ़्तार से नही हो रहा जिस रफ़्तार से छात्र संख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए वर्ष 1970 में 6 राजकीय स्कूलों में भवन की कमी के कारण दोहरी-पारी प्रणाली चलाई गई है ।

सहशिक्षा की नीति :--

3.10 हरियाणा के लोग रूढ़िवादी होने क कारण अपनी लड़कियों को सहशिक्षा के स्कूलों में पढ़ाना पसंद नही करते हैं।

प्राथमिक स्तर पर तो लगभग सभी विद्यालयों में सहशिक्षा है। माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की अनुमति तभी दी जाती है जब वहां की स्थानीय जनता सहशिक्षा के लिए अनुरोध करे। राज्य के बहुत से माध्यमिक विद्यालय में सहशिक्षा सन्तोषजनक तौर पर चल रही है।

माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन सुविधा :--

3.11 आज का युग विज्ञान का युग है। जीवन के हर क्षेत्र में वशिष्टीकरण महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है। माध्यमिक शिक्षा बच्चों को ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां उन्होंने अपने भविष्य के लिए निर्णय लेना होता है। इस स्तर पर बच्चों को व्यवसायिक मार्गदर्शन देने की अति आवश्यकता है। इस समय हर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ एक-एक सहायक परामर्शदाता का पद तथा एक राज्य शिक्षा संस्थान में इस प्रकार कुल 8 पद स्थापित हैं। यह सभी अधिकारी इस कार्य का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। इस समय 230 माध्यमिक स्कूलों में यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक चल रहा है। और इस कार्य को करने के लिए 250 अध्यापकों को कैरियर मास्टर के तौर पर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। इस कार्य पर वर्ष 1970-71 मे 1,16,169 रुपये की व्यवस्था की गई थी।

भाषा नीति और भाषाई अल्प संख्यकीय:--

3.12 हरियाणा एक भाषी राज्य है और इसकी राज्य भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हिन्दी ही राज्य में उच्च स्तर पर शिक्षा का माध्यम है।

हरियाणा राज्य में भी मातृभाषा की नीति को अपनाया जाना है। तथा इसके अन्तर्गत अंग्रेजी शिक्षा दूसरी भाषा के रूप में सातवीं श्रेणी से पढ़ाई जाती है।इन विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एंव भावात्मक एकता लाने के लिए दक्षिण भारत की तेलगू भाषा भी तीसरी भाषा के रुप में पढ़ाने की सुविधा कुछ एक वने हुए स्कूलों में प्रदान की गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 32 अध्यापकों को तैलगू भाषा का ज्ञान लेने के लिए वर्ष 1970-71 में भेजा गया। सातवी श्रेणी से इनचारों विषयों पंजाबी, उर्दू, संस्कृत और तेलगू में से किसी एक भाषा का अध्ययन विद्यार्थी कर सकता है। इस तीसरी भाषा की शिक्षा सातवीं श्रेणी से लेकर दसवा श्रेणी तक अनिवार्य रूप से दी जाती है

हरियाणा में भाषाई अल्प संख्यकों के हित के लिए उनको अपनी भाषा के अध्ययन करने का भी हरियाणा सरकार ने विशेष अधिकार दे रखा है। यदि किसी प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 बच्चे या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी अपनी भाषा पढना चाहते हैं तो वह अपनी भाषा को राज्य भाषा के अतिरिक्त एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं और ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार उनको उस भाषा में शिक्षा देने के लिए सुविधा प्रदान करती है।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड :---

3.13 हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना वर्ष 1969-70 मे हुई थी। शिक्षा बोर्ड ने जिसका विशेष उद्देश्य उच्च/उच्चतर माध्यमिक परीक्षायें लेना था दूसरे वर्षमार्च,1971 मे भी इस कार्य को बड़ी सफलता पूर्वक निभाया तथा पिछले वर्षों में जो नकल प्रथा विद्यार्थियों में चालू हो गई थी इस बुराई को बहुत सीमा तक नियन्त्रण कर लिया गया है।

शिक्षा बोर्ड की स्थापना केवल उच्च/उच्चतर स्तर तक की परीक्षा लेना ही नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा करना है। इस कार्य में शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है। इसके अतिरिक्त इस बोर्ड के द्वारा उच्च/उच्चतर श्रेणीयों के विद्यार्थियों के लिए सरकार को नीति के अनुसार पाठ्यक्रम नियत करना तथा पाठ्यपुस्तकों पर स्वीकृति देना इत्यादि है। ताकि इन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें बोर्ड द्वारा निश्चित कीमत पर प्राप्त हो सकें।

अध्याय--4

महाविद्यालय शिक्षा

4.1 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में रिपोर्टाधीन अवधि में विशेष उन्नति हुई है। आज हरियाणा के लोगों में नई जागृति आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के लोग केवल बालकों को शालेय शिक्षा दिलवाने पर ही सन्तुष्ट नहीं बल्कि उनमें अपने युवा लड़के और लड़कियों को महाविद्यालय स्तर पर शिक्षा दिलवाने का चाव भी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण दिन प्रतिदिन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। शिक्षा विभाग भी लोगों की इस मांग को क्रियात्मक रूप देने में पीछे नहीं रहा है वर्ष 1970-71 में उच्च शिक्षा के विकास स्कीम के अन्तर्गत राज्य में तीन नये महाविद्यालय खोले गये हैं :---

(1) राजकीय महाविद्यालय, कालका

(2) राजकीय महाविद्यालय, राई (केवल महिलाओं के लिए)

(3) राजकीय महाविद्यालय, बहादुरगढ़

शिक्षा विभाग का ध्यान केवल महाविद्यालयों के विकास की ओर ही सीमित नहीं रहा है। अपितु वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ नये विषयों की शिक्षा की सुविधा भी निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रदान की गई है :—

(1) एम० ए० (हिन्दी)--राजकीय महाविद्यालय, जीन्द

(2) एम० ए० (राजनैतिक)--राजकीय महाविद्यालय, गुड़गाँवां

(3) मिलट्री सांईस-राजकीय महाविद्यालय, जीन्द, रोहतक और नारनौल

(4) प्री-यूनीवर्सिटी स्तर पर वणिज्य-राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

महिलाओं में ललित कलाओं में रुचियों के विकास के लिए (संगीत) कक्षायें राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांवां में आरम्भ की गई।

4.2 **महाविद्यालयों की सख्या --:**

31 मार्च, 1971 में राज्य में केवल 13 राजकीय महाविद्यालय और 64 अराजकीय महाविद्यालय हैं। इन 77 महाविद्यालयों में से केवल 2 महाविद्यालयो का सबन्ध कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय से हैं बाकी सभी महाविद्यालय पजाब विश्वविद्यालय से संबन्धित हैं।

4.3 **महाविदयालय स्तर पर-पद सृजन :--**

राज्य में तीन नए खोले गए महाविद्यालयों के लिए बढ़ती हुई छात्रसंख्या तथा नये-नये विषयों की शिक्षा देने हेतु वर्ष 1970-71 म निम्नलिखित पदों का सृजन किया गया।

(1) प्रिंसिपल=3

(2) प्रोफैसर =1

(3) ज्येष्ठ व्याख्याता=19
(Senior Lecturer)

(4) व्याख्याता=57
(Lecturer)

(5) व्यायाम शिक्षक (पी०टी०एस०)=4

(6) अन्य पद=42

4.4 सरकार द्वारा अनुदान :--

इस अवधि के दौरान शिक्षा विभाग तथा राज्य सरकार का ध्यान केवल राजकीय महाविद्यालयों में विकास कार्य सम्बन्धी योजनाओं पर ही केन्द्रित नहीं रहा अपितु अराजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में विकास कार्यों को चालू रखने के लिए अनुदान दिया गया जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :--

(1) कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय=70.95 लाख (जिसमें 30.95 लाख रुपए की राशि नान प्लान तथा 40 लाख रुपये की राशि प्लान पर दी गई है।

(2) पंजाब विश्वविद्यालय=15 लाख

(3) अराजकीय महाविद्यालय=12 लाख

अराजकीय महाविद्यालयोंके विकास कार्यों के लिए अनुदान :--

4.5 गैर सरकारी कालिजों में कार्य करने वाले अध्यापकों को राजकीय महाविद्यालयों के संशोधित वेतनमान के स्तर पर लाने के

लिए अराजकीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान में 18·20 लाख रुपये वर्ष 1970-71 में दिए गये।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय :—

यह विश्वविद्यालय वर्ष 1960-61 में शुरू किया गया था और यह एक संवद्ध विश्वविद्यालय नहीं है इसलिए इस विश्वविद्यालय के साथ केवल कुरुक्षेत्र में स्थित निम्नलिखित महाविद्यालय संबद्धित हैं :—

(1) यूनीवर्सिटी कालिज, कुरुक्षेत्र

(2) राजकोय शिक्षा कालिज, कुरुक्षेत्र

(3) राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

(4) कृषि कालिज (करनाल), कोल

इस विश्वविद्यालय के बिभिन्न विभागों में तथा संबद्धित महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या अगस्त 1970 मे 4,096 थी जिसमें 3,247 लड़के और 849 लड़कियां थीं। इस विश्वविद्यालय में तीन वर्षीय डिगरी कोर्स चल रहा है। विद्यार्थियों के लिए 15 विषयों में एम० ए० के अध्ययन का भी सुयोग्य प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को अनुसंधान करने की पूर्ण सुविधा भी प्रदान की हुई है।

पंजाब विश्वविद्यालय :—

4·7 पंजाब विश्वविद्यालय एक संवद्ध विश्वविद्यालय है और इसके साथ हरियाणा राज्य के 11 राजकीय और 64 अराजकीय

महाविद्यालय संबद्धित हैं, यह सभी महाविद्यालय पंजाब विश्व-विद्यालय की शिक्षा सम्बन्धी नीति को अपनाते हैं। वर्ष 1970-71 में 59,477 छात्र राज्य के अलग-अलग महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते रहे। जिनमें 46,483 लड़के थे और 12,994 लड़कियां थीं ।

विज्ञान शिक्षा :--

4.8 राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा सुचारु रूप में देने के लिए सरकार ने 1,26,700 रुपये की राशि भी विज्ञान अनुदान के रूप में वर्ष के दौरान में दी ।

अध्याय-5

शिक्षक प्रशिक्षण

5.1 राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार, अध्यापक प्रशिक्षण पर ही निर्भर है। इसलिए अध्यापक प्रशिक्षण को अच्छा बनाने तथा सुधार के लिए राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से हर सम्भव विधियां अपना रही है। अध्यापक को अध्यापन कार्य में निपुणता देने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। (1) सेवाकाल से पहले की अवधि में और (2) सेवा अवधि के दौरान दिया जाने वाला प्रशिक्षण।

5.2 प्रशिक्षण द्वारा अध्यापक को समय-समय पर नई गति-विधियों से परिचित करवाया जाता है। कुछ वर्षो से प्राथमिक, माध्य-किम तथा उच्च स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधाओं में बहुत ही विकास हुआ है जिस के परिणाम स्वरूप जे० बी० टी० तथा बी०एड० ट्रेंड अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो गए हैं। वर्ष 1970-71 में अध्यापकों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई भी जे० बी० टी० कक्षा चालू नहीं की परन्तु नर्सरी एवं भाषा अध्यापक प्रशिक्षण की कक्षाओं को चालू रखने की स्वीकृति प्रदान की गई ताकि भाषा अध्यापक और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिये योग्य अध्यापक पर्याप्त संख्या में मिल सकें।

बेसिक शिक्षा प्रणाली :--

5.3 हरियाणा राज्य में बुनियादी शिक्षा प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली बालक के जीवन से

सम्बन्ध रखती है और इसका मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों के विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली बालक के सामाजिक तथा निजि वातावरण से सम्बन्ध रखती है इनके द्वारा विद्यार्थियों का सर्वतोमुखी विकास किया जा सकता है।

5.4 साधारणत: हमारे देश को शिक्षा प्रणालो शिक्षात्मक हा रही है इसलिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बुनियादी शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बालकों में शिक्षा बुनियादी विधि से देने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण में भी बुनियादी शिक्षा प्रणाली के ढ़ग को अपनाया गया है। वर्तमान जे॰बो॰टी॰ तथा बी॰एड॰ परीक्षा इसी प्रणाली को अनुकरण करती है। अध्यापकों को आरम्भ से ही इस विधि को अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाओं का पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा पर ही आधारित किया गया है। अध्यापकों को प्रयोगात्मक क्रियाएं, कृषि, कताई, बुनाई, कागज, गत्तों का सामान, मिट्टी का काम, लोहा तथा चमड़े का काम इत्यादि द्वारा बालकों को शिक्षा देने का अभ्यास तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार अध्यापक वालकों को उनके वातावरण के अनुसार ढलने योग्य बना सकते हैं।

सेवा से पहले प्रशिक्षण :--

5.5 रिपोर्टाधीन अवधि में निम्न प्रकार की कक्षायें राज्य में चालू रही हैं :-

(1) जे॰ बी॰ टी॰ (भाग दो कक्षायें)-प्राथमिक स्कूलो मे अध्यापकों के लिए।

(2) नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षायें--तीन से पांच वर्ष के बच्चों की शिक्षा हेतु।

(3) भाषा अध्यापक प्रशिक्षण कक्षायें--(हिन्दी तथा संस्कृत अध्यापकों के लिए)।

(4) बी०एड० प्रशिक्षण कक्षायें--माध्यमिक कक्षाओं के लिए।

(5) एम० एड० प्रशिक्षण कक्षायें---उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए।

5.6 **बेसिक ट्रेनिंग (जे०बी०टी० प्रशिक्षण विद्यालय) :—**

जे०बी०टी० प्रशिक्षित अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने के कारण वर्ष 1970-71 में राज्य में नई जे० बी० टी० यूनिटें चालू करने की स्वीकृति नहीं दी गई परन्तु सैशन 1969-70 में दी गई यूनिटों के अनुसार जे० बी० टी० II की कक्षायें 17 जे० बी० टी० संस्थाओं में वर्ष 1970-71 में चालू रही। इससे वर्ष 1971 में 1,100 के लगभग जे०बी०टी० ट्रेंड अध्यापक उपलब्ध हो सकेंगे।

नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाएं :—

5.7 नर्सरी स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1970-71 में 40 विद्यार्थियों का एक यूनिट सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर में आरम्भ करने की स्वीकृति दी गई।

भाषा प्रशिक्षण कक्षाएं

5.8 **(क) ओ०टी० संस्कृत प्रशिक्षण कक्षायें :—**

वर्ष 1970-71 में ओ०टी० संस्कृत की दो यूनिटें छोटूराम शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक तथा 1/2 यूनिट आर्य हिन्दी

महाविद्यालय, चरखी दादरी में दी गई। लगभग 100 विद्यार्थिय प्रवेश लिया। अब संस्कृत भाषा सातवीं और आठवीं कक्षा में ती भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। जिससे संस्कृत भाषा के अध्या की मांग अधिक हो गई है।

(ख) ओ०टी० हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं :—

वर्ष 1970-71 में हिन्दी अध्यापकों के लिए राज्य में नि लिखित संस्थाओं में हिन्दी की यूनिटें दी गई :—

(1) सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय—अम्बाला श एक यूनिट

(2) छोटूराम शिक्षा महाविद्यालय—रोहतक, एक यूनिट

(3) हिन्दू शिक्षा महाविद्यालय—सोनीपत (रोहतक) यूनिट

(4) छज्जूराम शिक्षा महाविद्यालय—हिसार, एक यूनिट

(5) आर्य हिन्दी महाविद्यालय—चरखी दादरी, एक यू 10 अतिरिक्त सीटें।

इन संस्थाओं का निरीक्षण उप निदेशक विद्यालय तथा ज़ि शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है।

बी०एड० प्रशिक्षण कक्षायें :—

5.9 राज्य में प्रति वर्ष माध्यमिक व उच्च विद्यालयों संख्या बढ़ रही है इसलिए पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध क हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों को पंजाब विश्वविद्यालय ने बी०ए

प्रशिक्षण देने हेतु कक्षाएं जारी रखने की स्वीकृति वर्ष 1970-71 में दी है। तथा उनमें प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या इस प्रकार है :-

		लड़के	लड़कियां
(1)	सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर	96	152
(2)	डी०ए०वी० शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	—	100
(3)	रूरल शिक्षा महाविद्यालय, कैथल	101	23
(4)	सी०आर० शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	178	72
(5)	हिन्दू शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	103	97
(6)	बी०पी०एस० शिक्षा महाविद्यालय, खानपुर कलां	—	148
(7)	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	78	72
(8)	आर०बी०एस० शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी	194	67
(9)	शतीश पब्लिक शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी	117	33
(10)	के०एम० शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	124	76

(11)	सी०आर० शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	132	150
(12)	राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	201	94
	कुल	1,324	1,084

एम० एड० की कक्षायें :--

5.10 हरियाणा में एम०एड० की शिक्षा की सुविधायें केवल राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र में उपलब्ध हैं। इन दोनों संस्थाओं में 26 विद्यार्थी एम०एड० की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जिनका विवरण यह है कि कुरूक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरूक्षेत्र में 12 लड़के और 6 लड़कियां और राव वीरेन्द्र सिंह शिक्षा महाविद्यालय, रिवाड़ी में केवल 8 लड़के ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

अध्याय 6

समाज शिक्षा

6.1 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य की साक्षरता केवल 26.6 प्रतिशत है जो कि भारत की औसत साक्षरता 29.4 से कम है। 1961 की (19.9%) साक्षरता प्रतिशत की तुलना में विशेष प्रगति हुई है। परन्तु आज भी राज्य की 73.4% जनता अशिक्षित है। इस लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने इनको शिक्षित करने हेतु राज्य में कई प्रकार की समाज शिक्षा योजनायें आरंभ की हुई है ताकि आधुनिक युग के ज्ञान को इन तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नये-नये तकनीकी आविष्कार हो रहे हैं। इनके ज्ञान को जनता तक पहुँचाने में समाज शिक्षा का महत्व युवक शिक्षा से भी बढ़कर है। इस समय राज्य में प्रौढ़ शिक्षा की तीन प्रकार की परियोजनायें चल रही हैं।

(1) समाज शिक्षा केन्द्र (चलते फिरते समाज शिक्षा केन्द्र)

(2) किसान साक्षरता योजना

(3) ग्राम शिक्षा मुहिम

समाज शिक्षा केन्द्र :-

6.2 यह शिक्षा केन्द्र अभी ज़िला जीन्द और महेन्द्रगढ़ में ही आरम्भ हैं। इन जिलों में इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए गांवों में

प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किया जाता है । इन गांवों में शिक्षा चलते-फिरते शिक्षा स्क्वैड द्वारा लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया जाता है। स्क्वेंड में लग-भग 30 अध्यापक होते हैं और जिनमें पुरुष तथा स्त्रीयां शामिल हैं। प्रत्येक जिले में इन शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है । इस प्रकार मुख्य केन्द्रो अध्यापक तथा स्त्री पर्यवेक्षक दोनों अधिकारी इन केन्द्रों के सफलता पूर्वक चलाने के लिए ज़िला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी हैं । इन केन्द्रों में लोगों को सुविधा के अनुसार समय रखा जाता है । स्त्रियों के लिए यह केन्द्र दोपहर 12 बजे से सांय 5 बजे तक चलाये जाते हैं और पुरुषों के लिए सांय 5 बजे से रात 10 बजे तक होता है । इन केन्द्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाते हैं :-

(1) शिक्षा तथा कार्य प्रशिक्षण
(2) खेल कूद तथा अन्य विनोद क्रियांए इत्यादि
(3) समाज सेवा
(4) चर्चा तथा प्रवचन

स्त्रियों के केन्द्रों में लिखाने-पढ़ाने के अतिरिक्त इन्हें लाभदायक घरेलू दस्तकारियों का ज्ञान भी दिया जाता है। गृह कार्य निपुणता के लिए पौष्टिक खुराक को तैयार करने की पूरी-पूरी जानकारी दी जाती है। यह केन्द्र एक स्थान पर प्राय: 6 मास तक वहां की जनता को शिक्षा देते हैं। यदि किसी समय वहां की जनता इस केन्द्र की अवधि बढ़ाने के लिए प्रार्थना करे तो उसकी आज्ञा भी प्राय: दे दी जाती है।

इस योजना के अन्तंगत शिक्षा बिभाग की एक चलती-फिरती गाड़ी जिसमें जन स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी फिल्में भी शिक्षा के प्रति जागृति पैदा करने के लिए दिखाई जाती हैं।

किसान साक्षरता योजना :–

6.3 यह योजना आरम्भ में रोहतक ज़िले में 1969 में चालू की गई थी इस योजना के लाभ को देखते हुए यह अब वर्ष 1970-71 से गुड़गांवां तथा हिसार ज़िलों में भी शुरु की गई है । इस स्कीम के अन्तर्गत हर ज़िले में 6 ब्लाक चुने जाते हैं । और हर ब्लाक में 10 गांव रखे जाते हैं । इन ब्लाकों के निरीक्षण का उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारियों पर है । इस स्कीम के अन्तर्गत 1969 में 30,600 रुपये की राशि रोहतक ज़िला के लिए स्वीकृत की गई थी । गुड़गांवां और हिसार ज़िलों में किसान साक्षरता का कार्य चलाने के लिए सरकार ने 147,00 रुपए की व्यवस्था की ।

ग्रामीण जनता को न केवल लिखना-पढ़ना ही सिखाया जाता है अपितु कृषकों को कृषि सम्बन्धी पूरी-पूरी जानकारी दी जाती है तथा उन्हें कृषि करने के नये-नये ढंग और उपज बढ़ाने के अनेक उपाय भी सिखाये जाते हैं । इससे लोगों की रुचि बनी रहती है ।

ग्राम शिक्षा मुहिम :—

6.4 प्रौढ़ शिक्षा के यह केन्द्र ग्राम शिक्षा मुहिम महाराष्ट्र के नमूने के अनुसार चलाये जा रहे हैं । इन केन्द्रो में शाम के समय वहां की ग्रामीण जनता की सुविधा के अनुसार प्राईमरी अध्यापकों द्वारा क्लासें चलाई जाती हैं । इन केन्द्रों में शिक्षा के अतिरिक्त कार्य को करने के लिए अध्यापकों को पहले 4 महीने 15 रुपए प्रतिमास और अन्तिम दो मास 10 रुपये प्रतिमास के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत 1970-71 में सरकार द्वारा 1,54,700 रुपए की व्यवस्था की गई । करनाल और रोहतक के अतिरिक्त इस योजना को अम्बाला ज़िला में भी शुरू किया गया है ।

—:o:—

क्षा चलते-
... जाता।

अध्याय 7

महिला शिक्षा

7.1 आज के प्रगतिशील संसार में स्त्री का शिक्षित होना बड़ा महत्त्वपूर्ण है। एक कुशल गृहिणी और सभ्य नागरिका बनने के लिए स्त्री को कम से कम सामान्य शिक्षा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रजातन्त्र की सफलता शिक्षा पर ही आधारित होती है। अतः स्त्रियों को अपने मतों का उचित रूप से प्रयोग करने के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। विश्व में आज नारी जीवन में एक महत्व-पूर्ण क्रान्ति आ चुकी है। परन्तु इसका प्रभाव इस राज्य में बहुत ही कम है।

7.2 1971 की जनगणना अनुसार हरियाणा राज्य में कुल 14.68 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। यह प्रतिशत दूसरे राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कम है। स्त्री शिक्षा का पिछड़ने का विशेष कारण यहां के लोगों के रूढिवादी और संकुचित विचार हैं। वे लड़कियों को विद्यालयों में भेजने में उत्सुकता नहीं दिखाते। एक महान् कारण जो स्त्री शिक्षा में बाधक है वह आर्थिक कारण है। निर्धन मां-बाप लड़कियों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। सामाजिक रीति-रिवाज और बाल अवस्था में शादी भी स्त्री शिक्षा में बाधक है।

7.3 सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में क्रान्ति लाने के लिए स्त्री की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से भी बढ़कर है। घरों

No. 5/43-71-Stat,(3)

From

Director of Public Instruction, Haryana.

Dated Chandigarh, the 27.12.72

Subject:- Annual Administration Report of the Education Deptt., Haryana for the year 1970-71.

....

Sir,

The Annual Administration Report of the Education Department for the year 1970-71 was sent vide this office letter No. 5/43-71-Stat(3) dated 4.8.72. It is requested that the figures of Middle Schools given on page 27 para 7.4 be read as under:-

	Govt.	Non-Govt.	Total.
Middle Schools	94	12	106

Yours faithfully,

Pushpa Ahrol 24/12

Assistant Director Statistics,
for Director of Public Instruction, Haryana.

To

The Librarian
Servant of Indian
Society's Library,
Poona - 4

को सुन्दर और स्वच्छ रखने और बच्चों के अच्छे ढ़ंग से पालन पोषण के लिए और उनके आचार व्यवहार को उच्च ढ़ंग से बनाने के लिए आवश्यक ही स्त्री को शिक्षित होना चाहिए।

7.4 उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग स्त्री शिक्षा को पूरी तरह से प्रोत्साहन दे रहा है। वर्ष 1970-71 में महिला शिक्षा संस्थाओं का व्यौरा नीचे तालिका में दिया है :--

संस्था का प्रकार	राजकीय	अराजकीय	कुल
मिडल	105	12	117
उच्च विद्यालय	71	60	131
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	22	4	26
महाविद्यालय	2	15	17

वर्ष 1969-70 की अपेक्षा रिपोर्टाधीन अवधि में महिला महाविद्यालयों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। इससे स्पष्ट है कि स्थानीय जनता भी अब महिला शिक्षा के लिए उत्सुक है। अराजकीय महिला स्कूलों तथा महाविद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया गया।

7.5. **महिला छात्र संख्या :--**

संस्थाओं की वृद्धि के साथ ही लड़कियों की संख्या में भी विशेष

वृद्धि हुई है। जो कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :-

शिक्षा अवस्था	वर्ष 1969-70	वर्ष 1970-71
पहली से पांचवी	2,39,546	2,54,248
छट्टी से आठवी	69,908	72,871
नौवीं से ग्याहरवीं	26,481	31,392
महाविद्यालय	10,315	13,200

छात्रवृत्तियां :--

7.6 स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की निम्नलिखित छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। परन्तु अराजकीय संस्थाओं को निःशुल्क शिक्षा के बदले सहायता अनुदान दिया जाता है। महिलाओं के लिए वर्ष 1970-71 में दी गई छात्रवृत्तियां :--

छात्रवृत्ति का नाम	केवल लड़कियों के लिए	मासिक दर
(1) मिडल स्कूल	406	10/-
(2) उच्च स्कूल योग्यता छात्रवृति	406	15/-

(3)	राज्य योग्यता छात्रवृत्ति मैट्रिक/ उच्चतर माध्यमिक (पहले भाग की परीक्षा)	मैट्रिक 27) उ० मा० 21) 48	22/-
(4)	भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्ति संस्कृत पढ़ने के लिए (मिडल स्कूल परीक्षा के आधार पर उच्च कक्षा के लिए)	7	10/-
(5)	कालिज अवस्था में		
(1)	एम० ए०/एम०एस० सी ० महाविद्यालयों की भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के लिए	1	300/-
(2)	बी०ए०/बी०एस०सी०	40	110/-
(3)	प्रेप	35	45/-
		(लड़कियों के लिए)	

लड़के/लड़कियों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति

(4)	उच्चतर माध्यमिक भाग II	63 (सम)	45/-

संस्थाओं में लड़कियों की संख्या को बढ़ाने के लिए कार्यक्रमः—

7.7 (क) इस बात को सम्मुख रखते हुए कि ग्रामीण लोग इस बात को पंसद नहीं करते कि लड़कियां सहशिक्षा स्कूलों में पढ़ें, विभाग ने यह आदेश दिये कि जिस गांव में लड़कियों के लिए गांववासी स्कूल-भवन देने को तैयार हों और लड़कियों की संख्या यथेष्ट हो और एक मील के दायरे में यदि लड़कियों के लिए कोई स्कूल न हो, वहां लड़कियों के लिए अलग प्राथमिक विद्यालय भी खोल दिये जायें ।

(ख) शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में दु:खी स्त्रियों जैसे कि, विधवाओं और अपने पतियों से अलग रहने वाली तथा विवाह विच्छेद वाली स्त्रियों को दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए कुछ सीटें भी आरक्षित हैं। राज्य सरकार ने लड़कियों को लड़कों के प्रशिक्षण स्कूलों में सीटों की उपलब्धि के अनुसार दाखिल होने की सुविधा भी दे रखी है।

(ग) महिला छात्रों की फीस भी लड़कों के मुकाबले कम ली जाती है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राज्य में लड़कियों एंव स्त्री शिक्षकों के लिए 5 संयुक्त छात्रावास बनाने के लिए 13 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। मदिना में छात्रावास के निर्माण का कार्य प्रगति में है।

अध्याय 8

शिक्षण विकास कार्यक्रम

8.1 शिक्षा की सुविधाओं के विकास के अतिरिक्त शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षा के मानक में उन्नति तथा प्रगति के लिए भी विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये हैं।

(क) गुणात्मक शिक्षण सुधार कार्यक्रम :--

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान की स्थापना:-

8.2 राज्य में विज्ञान शिक्षण की प्रगति के लिए राज्य विज्ञान संस्थान की स्थापना करनाल में रिपोर्टाधीन अवधि में की गई। श्री हर-कृष्ण सिंह, एच० ई० एस० (I) ने जुलाई, 1970 में इस संस्थान के निदेशक के पद का कार्यभार सम्भाला। अनुसंधान करने और अध्यापकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान में विज्ञान प्रयोगशालायें स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

राज्य विज्ञान संस्थान राज्य में विज्ञान की शिक्षा की उन्नति में विशेष भूमिका निभा रहा है। राज्य स्तर पर विज्ञान मेलों तथा विज्ञान विषयों पर वार्तालाप के द्वारा शिक्षकों तथा विद्यालयों में विज्ञान के अध्ययन के प्रति नई जागृति उत्पन्न की जा रही है। वैज्ञानिक शिक्षण में अनुसंधान के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं :--(1) विज्ञान के सामान की खरीद :--संस्थान राज्य

के भिन्न-भिन्न उच्च/ उच्चत्तर शालाओं के लिए वैज्ञानिक सामान की खरीद भी करता है। इस वर्ष 90 मिडल तथा 96 उच्च विद्यालयों के लिए सरकार ने वर्ष के दौरान 6.77 हज़ार रुपये की राशि विज्ञान का सामान तथा सामग्री इत्यादि खरीदने के लिए स्वीकृत की थी।

(2) **फालतू सामान का किराया:—** हरियाणा के जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्तर को घटाकर उच्च बनाया गया है और उनमें जो विज्ञान का सामान फालतू हो गया था इस सामान को आवश्यकता वाले स्कूलों में बितरण किया गया है।

यूनीसैफ प्रोग्राम :--

8.3 इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न ज़िलों के 50 प्राथमिक तथा 30 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों (दो- दो प्रति बिद्यालय) को दो मास का प्रशिक्षण विज्ञान के नए ढ़ंग से पढ़ाने के लिए दिया गया। यूनीसैफ स्कीम की सहायता से विज्ञान प्रशिक्षण योजना का कार्य भी चलाया जा रहा है। वर्ष 1970-71 में निम्नलिखित संस्थाओं को "की" (Key) संस्थान के रूप में चुना गया है।:--

(1) राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, करनाल

(2) राज्य शिक्षा संस्थान, हरियाणा, करनाल

(3) शिक्षा महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र

(4) राजकीय जे॰ बी॰ टी॰ स्कूल, नारायणगढ़ (अम्बाला)

राज्य शिक्षा संस्थान, करनाल :—

8.4 राज्य शिक्षा संस्थान करनाल की स्थापना राज्य में प्राथमिक

और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए स्थापित की गई थी। इस संस्थान के कार्य निम्नलिखित भागों में बांटे हुए हैं :--

(1) अनुस्थापन एंव सेवाकालीन प्रशिक्षण
(2) अनुसंधान
(3) प्रकाशन

(4) विविध: पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन, पुस्तकों का पुन: निरीक्षण तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना आदि।

(1) **अनुस्थापन एंव सेवाकालीन प्रशिक्षण**:--रिपोर्टाधीन अवधि में 58 संगोष्ठीयों/कर्मशालाएं आयोजित की गई। इनके अन्तर्गत प्रधानाचार्यों मुख्याध्यापकों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों एवं अध्यापक/अध्यापिकाओं को सेवाकालीन प्रशिक्षण कई विषयों पर दिया गया जैसे शिक्षा में लेखा, संस्थागत योजना, शालेय संगम शिक्षण, हिन्दी उच्चारण सुधार, प्रश्न पत्र निर्माण, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, संदर्शन सामग्री का निर्माण तथा अंग्रेजी भाषा शिक्षण में सुधार इत्यादि।

2. **अनुसंधान कार्य** : संस्थान के विभिन्न अनुभागों द्वारा कई तरह के शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर चालू वर्ष में अनुसंधान कार्य भी किये गये जैसे माध्यमिक स्तरीय परीक्षाएं (1970) के परिणामों के आधार पर परीक्षा का विश्लेषण, कक्षा 2 के लिए हिन्दी सुलेख के मानकों का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को विद्यालय में न भेजने के कारणों का निरीक्षण इत्यादि।

3. **प्रकाशन** : रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य शिक्षा संस्थान के विभिन्न-विभिन्न यूनिटों द्वारा कई तरह के प्रकाशन जैसे हमारे

राष्ट्रपति, अंग्रेजी शिक्षण में मौखिक कार्य का स्थान, प्रश्नपत्र बनाने तथा मुल्यांकन की विधि इत्यादि निकालना।

4. **विविध** : रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य शिक्षा संस्थान ने विद्यार्थियों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें अध्यापकों को प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने के लिए योग्य सुझाव भी दिये गये।

उपरोक्त सभी कार्य राज्य शिक्षा संस्थान के अधीन काम करने वाले 5 यूनिटों (इकाईयों) द्वारा किए जाते हैं।

कार्य अनुभव योजना :-

8.5 यह योजना बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों पर ही आधारित नहीं है। कृषि और स्थानीय शिल्पों में कार्य अनुभव द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए यह योजना वर्ष 1969-70 में आरम्भ की गई। रिपोर्टाधीन अवधि में 20 प्राथमिक तथा 30 उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू हुई। इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में कृषि/उद्योगों के प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये प्रति स्कूल तथा माध्यमिक स्कूलों को 1,000 रु० प्रति स्कूल के हिसाब से सरकार द्वारा अनुदान भी दिया गया है।

शाला संगम :-

8.6 कुठारी आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 1969-70 की तरह रिपोर्टाधीन अवधि में निम्नलिखित 8 उच्च/उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय शाला संगम (School Complex) के रूप में कार्य करने के लिए चुने गए :–

(1) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगाधरी (अम्बाला)

(2) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुरथल (रोहतक)

(3) राजकीय उच्च विद्यालय, पेहोवा (करनाल)

(4) राजकीय उच्च विद्यालय, रामराये (जीन्द)

(5) राज्यकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पलवल (गुड़गांव)

(6) राज्यकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (जीन्द)

(7) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिरसा (हिसार)

(8) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सतनाली (महेन्द्रगढ़)

उपर्युक्त चुने हुए विद्यालयों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा अन्य साज सामान की उपलब्धि के लिए 8,000 रुपये प्रति विद्यालय को राशि अनुदान दी गई ताकि यह शालाएं अपने-अपने क्षेत्र की प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों और विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा ग्रहण करने के लिए मार्गदर्शन दे सकें।

(ख) भौतिक सुविधाओं के सुधारात्मक कार्यक्रम :-

8.7 हरियाणा के बहुत से प्राथमिक और माध्यामिक विद्यालयों के भवनों की हालत काफी दयनीय है। विद्यार्थियों के बैठने के लिए ठीक प्रकार के कमरे तथा अन्य साज-सामान की अति कमी है। इनके सुधार के लिए शिक्षा विभाग गांवों की पंचायतों तथा वहां के समुदाय की सहायता से स्कूलों में नये-नये भवनों के बनवाने तथा

उनमें पूरा-पूरा साज-सामान जुटाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। जहां पर श्रेणियों के लिए पूरे कमरे इत्यादि नहीं है वहां पर सस्ते शैड बनवाने की भी व्यवस्था की गई है। चौथी पंचवर्षीय योजना की भौतिक सुविधाओं के सुधार स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में निम्न-लिखित राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई। पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थानीय जनता तथा सरकार 25:75 तथा दूसरे क्षेत्रों में 50:50 के अनुपात से प्रतिशत राशि अंशदान भी करती है।

स्तर	50:50 (लाख)	25:75 (लाख)
प्राथमिक शालाएं	8 लाख रुपये	6 लाख रुपये
मिडल शालाएं	7 लाख रुपये	5 लाख रुपये
उच्च/उच्चतर माध्यमिक शालाएं।	6.24 लाख रुपये	4 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त योजनेत्तर से वर्ष 1970-71 में 2,39,981 रुपये की राशि 22 स्कूलों की विशेष मुरम्मत हेतु स्वीकृत की गई और निम्नलिखित नये स्कूलों और कालिजों के भवनों के निर्माण एवं मुरम्मत के लिए भी सरकार ने ग्रांटें दीं :-

1. राजकीय उच्च विद्यालय, कैथल = 25 हजार रुपये
2. राजकीय उच्च विद्यालय, भिवानी = 1 लाख रुपये
3. राजकीय कन्या महाविद्यालय, रोहतक। =10 लाख रुपये

2.50 लाख रुपये की राशि सरकार ने उन विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत के लिए स्वीकृत की जिनका नाम अभी तक लोक निर्माण विभाग के खाते पर नहीं था। यह खर्च पंचायत विभाग के माध्यम से किया गया। निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर भी सरकार ने राशि स्वीकृत की :—

1.	राजकीय जे०बी०टी० स्कूल, खूंगा-कोठी (जीन्द) में अतिरिक्त कमरों के निर्माण।	= 1,22,500 रुपये
2.	राजकीय महाविद्यालय, जीन्द में पूर्वी विंग, क्वार्टर तथा अतिरिक्त कमरों के लिए।	= 74,55,440 रुपये
3.	राजकीय महाविद्यालय, जीन्द में छात्रावास का निर्माण।	= 6,85,800 रुपये
4.	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, नारनौल के लिए नये भवन के निर्माण हेतु।	= 9.65 लाख रुपये
5.	राजकीय महाविद्यालय, हिसार के भवन के निर्माण के लिए ज़मीन का खरीदना।	= 98 हज़ार रुपये
6.	गुड़गांव वर्क शैडों का खरीदना।	= 44,470 रुपये

वैज्ञानिक भौतिक सुविधायें :—

राज्य में काफी संख्या में ऐसे उच्च विद्यालय भी हैं जिनमें विज्ञान सम्बन्धी प्रयोग करने के लिए कोई भी विज्ञान कक्ष नहीं है।

वर्ष 1970-71 में 54 विज्ञान कक्षों के निर्माण के लिए 18 हज़ार रुपये प्रति विज्ञान कक्ष के लिए 9.72 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इनका ज़िलावार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

अम्बाला	=	3
करनाल	=	4
रोहतक	=	12
हिसार	=	11
गुड़गांव	=	8
महेन्द्रगढ़	=	9
जीन्द	=	7
कुल		54

—o—

अध्याय 9

विविध

शारीरिक शिक्षा

9.1 वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शारीरिक शिक्षा को अब एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक-एक पी० टी० अध्यापक का पद शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद क्रियाओं में विद्यार्थियों को निपुण करने के लिए उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दिया जाता है परन्तु प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का अलग पद नहीं होता क्योंकि प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण के दौरान ही कुछ शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की शारीरिक शक्तियों का विकास ठीक ढ़ंग से कर सकें।

पंजाब के पुनर्गठन के समय हरियाणा राज्य में कोई भी शारीरिक शिक्षा का विद्यालय/महाविद्यालय नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा छात्र परीक्षा का आयोजन किया। निम्नलिखित महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक प्रशिक्षण की श्रेणीयों का प्रबन्ध है :--

1. छज्जू राम महाविद्यालय, हिसार।

2. भगतफूल सिह शिक्षा महाविद्यालय, खानपुरकलां

वर्ष 1970–71 में इन महाविद्यालयों में 320 विद्यार्थियों ने अध्यापक प्रशिक्षण की शिक्षा प्राप्त की है।

नैशनल फिटनैस कारपस :-

9.2 प्राथमिक उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नैशनल फिटनैस कारपस (एन० डी० एस०) योजना के अधीन भी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इनका पाठ्यक्रम विभागीय पाठ्यक्रम के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। यह स्कीम राजकीय तथा अराजकीय दोनों प्रकार की संस्थाओं में चलाई जा रही है। वर्ष 1970-71 में इस स्कीम के अन्तर्गत 376 अध्यापक हरियाणा के अलग-अलग विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य के निरीक्षण के लिए चार पर्यवेक्षक नियुक्त हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है।-

कर्मचारियों की संख्या	राजकीय संस्थाएं	अराजकीय संस्थाएं	कुल
एन० डी० एस० अध्यापक	237	139	376
पर्यवेक्षक	-	-	4
		कुल	380

खेल-कूद क्रीड़ा क्रियाएं:-

9.3 विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त खेल-कूद क्रीड़ा क्रियाएं प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने का अवसर भी दिया

जाता है । दूसरे राज्यों तथा राज्य के विभिन्न जिलों के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की अलग-अलग खेलों के लिए टीमें तैयार की जाती हैं । निदेशक, खेल-कूद, हरियाणा, इस कार्य में शिक्षा विभाग को पूरा-पूरा सहयोग देते हैं । जिला प्रतियोगिताओं में जो टीमें आगे रहती हैं वह दूसरे राज्यों की टीमों से भी खेलने के लिए जाती हैं । हरियाणा राज्य भारत खेल फैडरेशन का भी सदस्य है ।

एन० सी० सी० :–

9.4 काफी संख्या में विद्यार्थी महाविद्यालय स्तर पर एन०सी०सी० का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण की सुविधा राज्य के 60 उच्च तथा उच्चतर विद्यालयों में भी उपलब्ध है । शिक्षा संस्थाओं में एन० सी० सी० के विषय की लोकप्रियता निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जाती है :–

स्तर	यूनिटों की संख्या	कैडिटों की संख्या	
		लड़के	लड़कियां
शाला स्तर	60	1,8099	13,00
महाविद्यालय स्तर	9	22,200	28,00

बुआयज़ स्काउट तथा गर्ल गाईड :–

9.5 भारत स्काउट तथा गर्ल गाईड हरियाणा और पंजाब की संयुक्त संस्था अब दोनों राज्यों की अलग-अलग हो गई है ।

हरियाणा में यह आन्दोलन विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में विशेष कार्य कर रहा है।

कार्य भार सम्भालने के प्रथम वर्ष में ही इस संस्था ने अपना कार्य बड़े उत्साह तथा साहस से राज्य में आरम्भ किया और विद्यार्थियो में इस आन्दोलन के लिए नई जागृति पैदा की है। इस आन्दोलन के द्वारा छात्रों में सद्भावना, प्रेम और देश सेवा की ट्रेनिंग दी जाती है। वर्ष के दौरान बुआयज़ स्काउट तथा गर्ल गाईड में लीडरशीप प्रशिक्षण अलग-अलग कैम्प लगाये गये। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए शिक्षा विभाग ने इस संस्था को 56,000/- रुपये का अनुदान भी दिया गया।

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा :--

9.6 अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा अर्थात् शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी इत्यादि के लिए सुविधाएं तथा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी भी बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दाखिला ले सकते हैं। उन्हें राज्य हरिजन शिक्षा (कल्याण योजना) के अधीन निम्नलिखित शिक्षा सुविधाएं दी जाती हैं :-

(1) छठी कक्षा से लेकर एम० ए०/एम० एस० सी० कक्षाओं तक निःशुल्क शिक्षा।

(2) नौवी कक्षा से छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की जाती हैं।

(3) परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती।

विमुक्त जाति के लोग अधिकतर अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यालयों में नहीं भेजते बल्कि उन्हें परिवार की आमदनी को अनुपूरक करने हेतु असाधारण कार्यो पर लगा देते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग इनके बच्चों को उदारता पूर्वक प्राथमिक कक्षाओं से लेकर महाविद्यालय स्तर तक वजीफे स्वीकृत करता है। वर्ष 1970-71 में इन पर 27,500 रुपये की राशि व्यय की गई।

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक उपरान्त स्तर पर भारत सरकार की योजना के अधीन टयूशन फीस परीक्षा शुल्क और अधिक मात्रा की राशि की छात्रवृत्तियां इत्यादि दी जाती हैं। वर्ष 1970 में इन योजनाओं पर जो व्यय किया गया वह इस प्रकार है :-

		प्लान रुपये	नान प्लान रुपये
1.	28 ऐजूकेशन-एफ-जनरल - टी-एक्सपैन्डीचर प्रोमोशन आफ ऐजूकेशन अंमगस्ट ऐजूकेशनली बैकवर्ड क्लासिज्।	16,10,198	14,11,065
2.	28 ऐजूकेशन - एफ़ - जनरल-आफ-स्कालरशिप एवार्ड आफ स्टाईपन्ड टू शडूलडकास्ट/एल० आई० जी० स्टून्डेटस एट पोस्ट मैट्रिक स्टेज (एल० आई० जी०)	4,55,457	8,23,585 एल० आई० जी०
3.	28 ऐजूकेशन-एफ-जनरल-आर-स्कालरशिप एवार्ड आफ स्टाईपण्ड टू विमुक्त जाति	27,500	---

संस्कृत शिक्षा :-

9.7 राज्य में संस्कृत शिक्षा के विकास पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पराजना, विशारद शास्त्री की कक्षाएं एस० डी० महाविद्यालय, अम्बाला शहर में चलाई जा रही हैं। यह महाविद्यालय पंजाब विश्व विद्यालय से संबद्ध रहता है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के संस्कृत गुरुकुल विद्यालय को इस भाषा के विकास हेतु शिक्षा विभाग ने अनुदान भी दिया। इसके अतिरिक्त राज्य में निम्न-लिखित चार विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है जिसके अधीन इन सभी विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त संस्कृत अध्यापक का पद दिया गया है। इस पर होने वाला कुल व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति कर दिया जाता है :-

1. राजकीय उच्च विद्यालय, नदगांव
2. राजकीय उच्च विद्यालय, घातीया
3. राजकीय उच्च विदयालय, खरकड़ा
4. राजकीय उच्च विद्यालय, धनौरी

स्कूल फीडिंग प्रोग्राम :-

9.8 इस स्कीम के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का लाभ केवल सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के तथा मिडल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में प्राथमिक विभागों में पढ़ने वाले बालक ही ले रहे हैं। 81 शिक्षा खण्डों में 4,013 विद्यालयों में 3.25 लाख विद्यार्थी इस स्कीम से लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार इस स्कीम पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय करती है। यह राशि खाद्य सामग्री को केयर

संस्था से खण्डों तक रेलवे द्वारा लाये जाने पर व्यय होती है। खाद्य सामग्री केयर संस्था द्वारा मुफ्त दी जाती है। 1970-71 में 8459,,896.70 रु० की खाद्य सामग्री दी गई थी।

पाठ्य पुस्तकें तथा पाठ्य क्रम:--

9.9 वर्ष 1970-71 में पहली, दूसरी, छठी तथा सातवीं कक्षाओं की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करके शालाओं में लागू की गई हैं। परन्तु अभी कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं तथा आठवीं की पाठ्य पुस्तकें संयुक्त पंजाब वाली ही चल रही हैं।

आज के समय की आवश्यकताओं को दृष्टिगोचर करते हुए हरियाणा राज्य के बनने के पश्चात् पहली से आठवीं तक पाठ्य क्रमां में कुछ परिवर्तन किया गया। वर्ष 1970-71 से मिडल श्रेणीयों में सिलाई कढ़ाई के विषयों में काफी संशोधन किया गया है और इसके स्थान पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान (Home Science) का विषय चालू किया गया है।

जिला पुस्तकालय :-

9.10 चौथी पंचवर्षीय योजना में हर जिले में एक-एक पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य में चार पुस्तकालय, अम्बाला, हिसार, नारनौल और जीन्द में स्थापित थे अम्बाला के जिला पुस्तकालय को राज्य पुस्तकालय बना दिया गया है। वर्ष 1970-71 में गुड़गांवा में एक पुस्तकालय आरम्भ किया है। इन पुस्तकालयों पर शिक्षा विभाग का नियन्त्रण है। शिक्षा सुविधाओं के विकास के साथ इनके सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

परिशिष्ट I 'क'

31-3-1971 को निदेशालय स्तर पर काम करने वाले श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के अधिकारियों के नाम तथा कुल पद।

क्रम संख्या	पदनाम	वर्ग	अधिकारी का नाम	विशेष कथन
1	2	3	4	5
1	निदेशक	I	श्री वी०के० सिबल, आई० ए० एस०	-
2	–सम-	I	--	रिक्त
3	संयुक्त निदेशक	I	श्री वी० एस० माथुर	--
4	उप-निदेशक महाविद्यालय	I	डा०एस० एस० गुप्ता	--
5	उप निदेशक विद्यालय	I	श्रीमती पी०जे०आर०डी० आहूजा	--
6	सहायक निदेशक	I	-	--
7	प्रशासन अधिकारी	I	श्री आर०एस०कैले	--
8	सहायक निदेशक महाविद्यालय	II	श्री के० सी० पल्टा	--
9	सहायक निदेशक छात्रवृत्ति	II	श्री धर्मदेव चौधरी	-
10	सहायक निदेशक परीक्षा	II	श्री जे०पी०सुन्दर लाल	--
11	सहायक निदेशक सांख्यकीय	II	श्रीमती पुष्पा अबरोल	--
12	सहायक निदेशक समाज शिक्षा	II	--	रिक्त
13	सहायक निदेशक	II	--	रिक्त
14	सहायक पुरातत्व अधिकारी	II	--	रिक्त

परिशिष्ट-1 'ख'

31-3-71 को ज़िला स्तर पर ज़िला शिक्षा अधिकारी तथा उप ज़िला शिक्षा अधिकारियों के नाम व ग्रेड।

क्रम संख्या	ज़िला	ज़िला शिक्षा अधिकारी का नाम	उप ज़िला शिक्षा अधिकारी का नाम
1	2	3	4
1	अम्बाला	श्री विपिन बिहारी लाल	श्री जे०डी० भटेजा, श्री बी० एन० डुडेजा, कुमारी एस०सिंह
2	गुड़गाँवां	कुमारी शान्ता राजदान	श्री एस०एल०सहगल, कुमारी कृष्णा चोपड़ा, कुमारी आर०डी० हसीजा
3	करनाल	श्री दुर्गादत्त गुप्ता	श्री आर०आर० पाल०, श्री जे०के० सूद, श्रीमती जानकी बाई, कुमारी सत्या ठाकुर
4	हिसार	श्री आर० डी० शर्मा	श्री दिवान सिंह, श्री वी० डी शैदा, श्री होशियार सिंह मलिक, श्री ओ० पी० सेठ, कुमारी विद्या भोला

1	2	3	4
5	रोहतक	श्री धर्मसिंह ढिल्लों	श्री वी० आर० जगपाल, श्री शिव चरण सिंह, श्री प्रताप सिंह जैन, श्री ओ० पी० गुप्ता, श्रीमती उमा शर्मा (अवकाश पर)
6	जीन्द	श्री आर० एस० सूद	श्री जणवीर सिंह
7	महेन्द्रगढ़	श्री एम०पी० जैन	श्री देवराज सिंह, श्री ओ० पी० दिवान

नोट:- I जिला शिक्षा अधिकारी के पद का श्रेणी-I में वेतनमान 700-40-980/40-1100/50-1200 है तथा उप-जिला शिक्षा अधिकारी के पद का श्रेणी-II का वेतनमान 400-800 या 700-1100 है।

नोट II :- श्री आर० एस० सूद, ज़िला शिक्षा अधिकारी के श्रेणी-I के पद पर अपने श्रेणी-II के पद के वेतनमान 400-800 में कार्य करते रहे हैं।

परिशिष्ट I—'ग'

31-3-71 के अनुसार श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के कुल पद कालिजों और स्कूलों के अलग-अलग ।

क्रम संख्या	पदनाम	वर्ग	कुल संख्या
1	2	3	4
1	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	I	12
2	प्रोफैसर, राजकीय महाविद्यालय	I	3
3	निदेशक, राजकीय शिक्षा संस्थान, करनाल ।	I	1
4	निदेशक, राजकीय विज्ञान संस्थान, करनाल ।	I	1
5	निदेशक राजकीय शैक्षणिक एवं माध्यमिक संदर्शन केन्द्र, करनाल	I	1
6	संपर्क अधिकारी	I	1
7	प्राचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	II	79
8	प्राचार्य, जे०बी०टी० स्कूल	II	4

1	2	3	4
9	वरिष्ठ विशेषज्ञ	II	3
10	विज्ञान परामर्शी	II	2
11	मुल्यांकन अधिकारी	II	2
12	परामर्शदाता	II	1
13	मनोवैज्ञानिक/वरिष्ठ प्राध्यापक	II	160

758-D.P.I.—H.G.P., Chd.